© Govt of Haryana.

हरियाणा सरकार

विधि विभाग

पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952

(1952 का पंजाब अधिनियम सं० 11)

The Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952

(Punjab Act No. 11 of 1952)

(30 नवम्बर, 1973 तक संशोधित)

मुद्रक :
मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, चण्डीगढ़ ।
1974

मूल्य :
Rs. 1.90 Paise

पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952

विषय-सूची

धाराएं—

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।
3. सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन के लिए अनुज्ञप्ति का दिया जाना ।
4. अनुज्ञापन प्राधिकारी ।
5. अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियों पर निर्बन्धन ।
6. सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की, कतिपय दशाओं में फिल्मों के प्रदर्शन को, निलम्बित करने की शक्ति ।
7. शास्तियां ।

7–क. प्रवेश के लिए सीटों के वर्गीकरण और दरों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संशोधन या परिवर्तन ।

7–ख. सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन में प्रवेश के लिए दरों में संशोधन या परिवर्तन करने की सरकार की शक्ति ।

7–ग. टिकटों के पुनः विक्रय के लिए शास्ति और अपराधों का संज्ञान ।

8. अनुज्ञप्ति को निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहृत करने की शक्ति ।

8–क. शास्ति का संदाय करने पर कतिपय रद्द अनुज्ञप्तियों का वापस किया जाना ।

9. नियम बनाने की शक्ति ।

10. छूट देने की शक्ति ।

11. सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1918 का निरसन ।

पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952[1]

(1952 का पंजाब अधिनियम सं० 11)

(मूल अंग्रेजी पाठ को पंजाब के राज्यपाल की अनुमति 16 अगस्त, 1952 को प्राप्त हुई और पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण) में 19 अगस्त, 1952 को पहली बार प्रकाशित हुआ। अधिप्रमाणित हिन्दी पाठ के प्रकाशन हेतु हरियाणा के राज्यपाल का प्राधिकार 30 नवम्बर, 1973 को प्राप्त हुआ और वह हरियाणा राजपत्र (असाधारण, भाग I) में तिथि 10 दिसम्बर, 1973 को पृष्ठ 347 पर प्रकाशित हुआ। यह हरियाणा राज भाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खंड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा।

1	2	3	4
वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	पश्चात्वर्ती विधान द्वारा निरसित या अन्यथा प्रभावित
1952	11	पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952	1955 के पंजाब अधिनियम सं० 6 द्वारा संशोधित[2]।
			1957 के पंजाब अधिनियम सं० 5 द्वारा संशोधित[3]।

[1]उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र (असाधारण) तिथि 22 जुलाई, 1952, पृष्ठ 659-60; विधान सभा में कार्यवाहियों के लिए देखिए, पंजाब विधान सभा विचार-विमर्श, 1952, जिल्द 2, पृष्ठ (30) 8–30 (28)।

यह अधिनियम, 3 अप्रैल, 1957 से उन राज्य-क्षेत्रों तक प्रसारित किया गया है जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पहले पंजाब विधि (प्रसारण सं० 1) अधिनियम, 1957 (1957 का पंजाब अधिनियम सं० 5), धारा 4, अनुसूची 1 द्वारा पटियाला राज्य तथा पूर्वी पंजाब राज्यसंघ में समाविष्ट थे।

[2]उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र (असाधारण) तिथि 11 मार्च, 1955, पृष्ठ 145।

[3]उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र (असाधारण) तिथि 14 मार्च, 1957 तथा भूतपूर्व पैप्सू राज्य-क्षेत्र तक अधिनियम के विस्तारण से सम्बन्धित उपर्युक्त पाद टिप्पण सं० 1 भी देखिए।

1	2	3	4
वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	पश्चात्वर्ती विधान द्वारा निरसित या अन्यथा प्रभावित
			1957 के पंजाब अधिनियम सं० 28 द्वारा संशोधित[4] ।
			1963 के पंजाब अधिनियम सं० 4 द्वारा संशोधित[5] ।
			1968 के हरियाणा अधिनियम सं० 5 द्वारा संशोधित[6] ।
			1968 के हरियाणा विधि अनुकूलन आदेश द्वारा संशोधित[7] ।
			1969 के हरियाणा अधिनियम सं० 21 द्वारा संशोधित[8] ।

[4]उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र (असाधारण), तिथि 23 अक्तूबर, 1957, पृष्ठ 1690.

[5]उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए देखिए, पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1963, पृष्ठ 208.

[6]उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए देखिए, हरियाणा राजपत्र (असाधारण), 1968, पृष्ठ 362.

[7]उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए देखिए, हरियाणा राजपत्र (असाधारण), तिथि 29 अक्तूबर, 1968.

[8]उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए देखिए, हरियाणा राजपत्र (असाधारण), 1969, पृष्ठ 59.

पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952

(1952 का पंजाब अधिनियम सं० 11)

हरियाणा में सिनेमैटोग्राफ़ द्वारा प्रदर्शन

विनियमित करने हेतु उपबन्ध

करने के लिए

अधिनियम ।

एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ ।

1. (1) यह अधिनियम पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 कहा जा सकता है ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है ।

(3) यह मूल राज्यक्षेत्रों में 28 जुलाई, 1952 को और अन्तरित राज्यक्षेत्रों में 3 अप्रैल, 1957 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सिनेमैटोग्राफ" के अन्तर्गत है, चलचित्रों या चलचित्रों की आवलि का प्रदर्शन करने के लिए कोई साधित्र ;

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ग) "स्थान" के अन्तर्गत है, कोई मकान, निर्माण, तम्बू और जल, स्थल अथवा वायु द्वारा परिवहन का कोई भी साधन ;

(घ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ।

सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन के लिए अनुज्ञप्ति का दिया जाना ।

3. इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त स्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर, या ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा अधिरोपित शर्तों और निर्बन्धन का अनुपालन किए बिना, सिनेमैटोग्राफ द्वारा प्रदर्शन नहीं करेगा ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी ।

4. इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति देने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी (एतत्पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट होगा :

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसे वह उस में विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी नियत कर सकती है ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियों पर निर्बन्धन ।

5. (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं देगा, जब तक उसका इस सम्बन्ध में समाधान नहीं हो जाता कि—

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है ; और

(ख) जिस स्थान के लिए अनुज्ञप्ति दी जानी है, उस स्थान पर प्रदर्शनों में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पर्याप्त पूर्वाधान कर लिए गए हैं ।

(2) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों और सरकार के नियन्त्रण के अध्यधीन, अनुज्ञापन प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह योग्य समझे, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी वह अवधारित करे, अनुज्ञप्ति दे सकता है :

परन्तु पंजाब सिनेमा (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1968 के प्रारम्भ 1968
होने से पूर्व या पश्चात् दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति की यह शर्त समझी जाएगी कि यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी, बिना पर्याप्त हेतुक के, किसी मास में, चाहे लगातार या अन्यथा, पन्द्रह दिन की अवधि के लिए किसी सिनेमैटोग्राफ द्वारा प्रदर्शन करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन रद्दकरणीय होगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने वाले विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाए, सरकार को या ऐसे अधिकारी को, जिसे सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अपील कर सकता है और, यथास्थिति, सरकार या अधिकारी, उस मामले में ऐसा आदेश कर सकता है, जैसा वह उचित समझता है ।

(4) सरकार किसी फिल्म या फिल्मवर्ग के प्रदर्शन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए सभी अनुज्ञप्तिधारियों को या किसी विशेष अनुज्ञप्तिधारी को समय-समय पर निदेश दे सकती है, ताकि वैज्ञानिक फिल्मों, शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए आशयित फिल्मों, समाचार और सामयिक घटनाओं से संबंधित फिल्मों, वृत्तचित्रों या स्वदेशी फिल्मों को प्रदर्शित किए जाने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके, और जहां कोई ऐसे निदेश दिये गये हों, वहां ये निदेश ऐसी अतिरिक्त शर्तें समझी जाएंगी, जिनके अध्यधीन अनुज्ञप्ति दी गई है ।

सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की, कतिपय दशाओं में फिल्मों के प्रदर्शन को, निलम्बित करने की शक्ति ।

6. (1) सरकार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य या उसके किसी भाग के बारे में और जिला मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता वाले जिले के बारे में, यदि, यथास्थिति, सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि खुले आम प्रदर्शित की जाने वाली किसी फिल्म से शांति भंग होने की सम्भावना है, तो वह आदेश द्वारा ऐसी फिल्म का प्रदर्शन निलम्बित कर सकता है और ऐसे निलम्बन के दौरान ऐसी फिल्म, यथास्थिति, राज्य या राज्य के भाग या जिले में अप्रमाणित फिल्म समझी जाएगी ।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश किया गया है, वहां उसकी एक प्रति, उसके लिए कारणों के विवरण के साथ, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सरकार को तत्काल भेजी जाएगी और सरकार ऐसे आदेश को पुष्ट या विखंडित कर सकती है ।

(3) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश, किए जाने की तिथि से दो मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, किन्तु यदि सरकार की यह राय हो कि वह आदेश प्रवृत्त बना रहना चाहिए, तो वह निदेश कर सकती है कि निलम्बन ऐसी अतिरिक्त अवधि तक के लिए बढ़ाया जाएगा, जैसी वह उचित समझती है ।

शास्तियां ।

7. यदि इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का या ऐसी शर्तों का, जिन पर या जिनके अध्यधीन कोई अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अधीन दी गई है, उल्लंघन करते हुए किसी सिनेमैटोग्राफ का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति उसका उपयोग करता है, या उसका उपयोग किया जाना अनुज्ञात करता है, या, किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी उस स्थान का उपयोग करने की अनुज्ञा देता है, तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो एक हजार रुपए तक हो सकता है और किसी अनवरत अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, एक सौ रुपये तक हो सकता है ।

प्रवेश के लिए सीटों के वर्गीकरण और दरों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संशोधन या परिवर्तन ।

7-क. (1) सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन में प्रवेश के लिए, अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथानुमोदित सीटों के वर्गीकरण और दरों का अनुसरण करेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना उनमें संशोधन या परिवर्तन नहीं करेगा ।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन में प्रवेश के लिए दरों को बढ़ाना चाहता है, तो वह ऐसी दरों में वृद्धि को प्रभावी करने के लिए प्रस्थापित तिथि से कम से कम सात दिन पहले वृद्धि के लिए कारणों का विवरण देते हुए एक लिखित आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को करेगा ।

(3) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन में प्रवेश के लिए दरों की वृद्धि से सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन के टिकटों के क्रेता पर कोई अयुक्तियुक्त प्रभाव नहीं होगा तो वह, अभिलेख्य कारणों के लिए, ऐसी वृद्धि के लिए अनुमोदन दे सकता है :

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा अनुमोदन वर्ष में दो बार से अधिक नहीं दिया जाएगा ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाए, सरकार को अपील कर सकता है और सरकार मामले में ऐसा आदेश कर सकती है, जैसा वह उचित समझती है ।

सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन में प्रवेश के लिए दरों में संशोधन या परिवर्तन करने की सरकार की शक्ति ।

7-ख. यदि सरकार की राय हो कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह अभिलेख्य कारणों के लिए, आदेश द्वारा, सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन में प्रवेश के लिए दरों में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है और अनुज्ञप्तिधारी तदनुसार ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा ।

टिकटों के पुनः विक्रय के लिए शास्ति और अपराधों का संज्ञान ।

7-ग. (1) भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 की धारा 56 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन में प्रवेश के लिए किसी टिकट का, उसके क्रेता द्वारा लाभ के लिए पुनः विक्रय नहीं किया जाएगा ।

1882 का केन्द्रीय अधिनियम 5 ।

(2) जो कोई सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन में प्रवेश के लिए किसी टिकट का लाभ के लिए पुनः विक्रय करता है, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई अपराध उस संहिता के अर्थ के भीतर संज्ञेय समझा जाएगा। 1898 का केन्द्रीय अधिनियम 5.

अनुज्ञप्ति को निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहृत करने की शक्ति।

8. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 5 के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक पर किसी भी समय निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहृत कर सकता है, अर्थात् :—

(क) अनुज्ञप्ति कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त की गई है ;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध का या अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किसी शर्त या निर्बन्धन का अथवा धारा 5 की उप-धारा (4) के अधीन दिए गए किसी निदेश का भंग किया है ;

(ग) अनुज्ञप्त स्थान के परिक्षेत्र में हुए किन्हीं परिवर्तनों के कारण अनुज्ञप्ति को बनाए रखना शिष्टता या नैतिकता के प्रतिकूल समझा जाता है ;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी को इस अधिनियम की धारा 7 या सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 7 के अधीन सिद्धदोष किया गया है ; 1952 का केन्द्रीय अधिनियम 37.

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी को पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 की धारा 15 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए कम से कम तीन बार सिद्धदोष किया गया है या उसके ऐसे अपराध का उस अधिनियम की धारा 16 के अधीन कम से कम तीन बार शमन किया गया है ; 1955 का 16.

(च) अनुज्ञप्तिधारी पर खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 14-क के अधीन शास्ति कम से कम तीन बार अधिरोपित की गई है ; या

(छ) अनुज्ञप्तिधारी पर खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (ii) के अधीन किसी एक मामले में दो सौ रुपये से अधिक कर निर्धारित किया गया है। 1918

(2) जहां सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि धारा 5 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहृत कर दी जानी चाहिए, वहां वह यथासंभव शीघ्र अनुज्ञप्तिधारी को वे आधार संसूचित करेगा, जिन पर कार्यवाही की जानी प्रस्थापित है और उसे की जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(3) यदि ऐसा अवसर देने के पश्चात्, यथास्थिति, सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहृत कर दी जानी चाहिए, तो वह एक आदेश, उसके आधार या आधारों का विवरण देते हुए अभिलिखित करेगा, और उसे लिखित रूप में अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित करेगा।

(4) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति को निलम्बित, रद्द या प्रतिसंहृत करने का आदेश किया गया है, वहां ऐसे आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की उसे संसूचना से तीस दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकता है, जो ऐसा आदेश कर सकती है, जैसा वह उचित समझती है ।

(5) सरकार का आदेश अन्तिम होगा ।

शास्ति का संदाय करने पर कतिपय रद्द अनुज्ञप्तियों का वापस किया जाना ।

8-क. जहां कोई अनुज्ञप्ति धारा 5 की उप-धारा (2) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति की शर्तों के भंग के लिए धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन रद्द कर दी गई है, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस की अनुज्ञप्ति रद्द की गई है, आवेदन किए जाने पर अनुज्ञप्ति को उस दशा में वापस दे सकता है, यदि अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक दिन के लिए जब वह सिनेमैटोग्राफ द्वारा प्रदर्शन करने में असफल रहता है, जिसके अन्तर्गत उक्त परन्तुक में निर्दिष्ट दिन भी हैं, ऐसी शास्ति का संदाय अनुज्ञापन प्राधिकारी को करता है, जो ऐसी दैनिक औसत राशि की दुगनी तक हो सकती है, जैसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दैनिक औसत राशि" पद से अभिप्रेत है, ऐसी राशि जो उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है, ऐसी तिथि से, जिस को ऐसा व्यक्ति सिनेमैटोग्राफ द्वारा प्रदर्शन करने में पहली बार असफल रहा, ठीक पूर्ववर्ती 15 दिन की अवधि के लिए प्रति प्रदर्शन संदत्त या संदेय मनोरंजन शुल्क तथा मनोरंजन कर की संकलित राशि को पन्द्रह के अंक से भाग देने के पश्चात् आए ।

नियम बनाने की शक्ति ।

9. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है :—

(क) निबन्धन, शर्तें और निर्बन्धन, यदि कोई हों, विहित करना, जिनके अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियां दी जा सकती हैं ;

(ख) लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन के विनियमन हेतु उपबन्ध करना ;

(ग) समय विहित करना, जिसके भीतर, और शर्तें विहित करना, जिनके अध्यधीन, धारा 5 की उप-धारा (3) और धारा 7-क की उप-धारा (4) के अधीन कोई अपील की जा सकती है ।

छूट देने की शक्ति ।

10. सरकार, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह अधिरोपित करे, लिखित आदेश द्वारा, किसी सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन या सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शनों के वर्ग एवं ऐसे परिसर या स्थल को, जिसका सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन के लिए उपयोग किया गया है या उपयोग किया जाना आशयित है, इस अधिनियम के, या तदधीन बनाए गए नियमों के, उपबन्धों में से किसी से छूट दे सकती है ।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1918 का निरसन ।

1918 का 2.

11. सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1918, जहां तक वह सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन के लिए स्वीकृति देने से भिन्न विषयों से सम्बद्ध है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई नियुक्ति, निकाली गई कोई अधिसूचना, आदेश, बनाई गई कोई उपयोजना, नियम, प्ररूप या उपविधि, वहां तक जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, प्रवृत्त बनी रहेगी और जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी नियुक्ति या निकाली गई किसी अधिसूचना, आदेश, बनाई गई किसी उपयोजना नियम, प्ररूप या उपविधि द्वारा अधिक्रांत नहीं हो जाती, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई, निकाली गई या बनाई गई समझी जाएगी ।

12926 LR—Govt. Press, Chd.

Regd. No. NW/CH-3

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

©Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 1985
(ASVINA 4, 1907 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th September, 1985

No. 11-HLA of 1985/59.—The Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1985, as introduced in the Haryana Vidhan Sabha on the 26th September, 1985, is published under Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 11-HLA of 1985

THE PUNJAB CINEMAS (REGULATION) HARYANA AMENDMENT BILL, 1985

A

BILL

to amend the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952, in its application to the State of Haryana.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Act, 1985. Short title.

Amendment of section 8 of Punjab Act 11 of 1952.

2. In sub-section (*1*) of section 8 of the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952,—

(*a*) for clause (*e*), the following clause shall be substituted, namely :—

"(*e*) the licensee has been penalised for not less than three times under section 15 of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955;"; and

(*b*) clauses (*f*) and (*g*) shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In clauses (e), (f) and (g) of section 8 of the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952, it has been provided that the licensing authority may suspend, cancel or revoke the licence, *inter alia*, on the grounds of (i) conviction of the licensee; (ii) his compounding the offence; and (iii) imposition upon him of the penalty under sections 15, 16 and 14-A of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955. The latter Act was amended in the year 1973 so as to omit sections 14-A and 16 therefrom and substitute another fresh section 15 therein in place of the original. Consequently the provisions of section 8 of the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952, are also required to be amended on identical lines so as to bring its provisions at par with similar provisions in relevant sections of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955.

Hence this Bill.

BHAJAN LAL,
Chief Minister, Haryana.

G. L. BATRA,
Secretary.

CHANDIGARH :
The 26th September, 1985.

Regd. No. NW/CH-3

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 1985
(ASVINA 4, 1907 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th September, 1985

No. 11-HLA of 1985/59.—The Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1985, as introduced in the Haryana Vidhan Sabha on the 26th September, 1985, is published under Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 11-HLA of 1985

THE PUNJAB CINEMAS (REGULATION) HARYANA AMENDMENT BILL, 1985

A

BILL

to amend the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Act, 1985.

Amendment of section 8 of Punjab Act 11 of 1952.

2. In sub-section (*1*) of section 8 of the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952,—

(*a*) for clause (*e*), the following clause shall be substituted, namely :—

"(*e*) the licensee has been penalised for not less than three times under section 15 of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955;"; and

(*b*) clauses (*f*) and (*g*) shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In clauses (e), (f) and (g) of section 8 of the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952, it has been provided that the licensing authority may suspend, cancel or revoke the licence, *inter alia*, on the grounds of (i) conviction of the licensee; (ii) his compounding the offence; and (iii) imposition upon him of the penalty under sections 15, 16 and 14-A of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955. The latter Act was amended in the year 1973 so as to omit sections 14-A and 16 therefrom and substitute another fresh section 15 therein in place of the original. Consequently the provisions of section 8 of the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952, are also required to be amended on identical lines so as to bring its provisions at par with similar provisions in relevant sections of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955.

Hence this Bill.

BHAJAN LAL,
Chief Minister, Haryana.

G. L. BATRA,
Secretary.

CHANDIGARH :
The 26th September, 1985.

THE PUNJAB CINEMAS (REGULATION) ACT, 1952

(PUNJAB ACT 11OF 1952)

TABLE OF CONTENTS

Sections.

1. Short title, extent and commencement.

2. Definitions.

3. Cinematograph exhibition to be licensed.

4. Licensing authority.

5. Restrictions on powers of licensing authority.

6. Powers of Government or local authority to suspend exhibition of films in certain cases.

7. Penalties.

7A. Amendment or alteration in classification of seats and rates by the licensee.

7B. Power of Government to amend or alter rates for admission to cinematograph exhibition.

7C. Penalty for re-sale of tickets and cognizance of offence.

8. Power to suspend, cancel or revoke licence.

8A. Restoration of certain cancelled licences on payment of penalty.

9. Power to make rules.

10. Power to exempt.

11. Repeal of the Cinematograph Act, 1918.

[1]THE PUNJAB CINEMAS (REGULATION) ACT, 1952

PUNJAB ACT No. 11 OF 1952

[Received the assent of the Governor of Punjab on the 16th of August, 1952, and was first published in the Punjab Government Gazette (Extraordinary), of the 19th August, 1952

1	2	3	4
Year	No.	Short title	Whether repealed or otherwise affected by legislation
1952	11	The Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952.	Amended by Punjab Act 6 of 1955[2]. Extended to the territories, which immediately before the 1st November, 1956, were comprised in the State of Patiala and East Punjab States Union by Punjab Act 5 of 1957. Amended by Punjab Act 28 of 1957.[3] Amended by Punjab Act 4 of 1963.[4] Amended by Haryana Adaptation of Laws Order, 1968.[5] Amended by Haryana Act 5 of 1968.[6] Amended by Haryana Act 21 of 1969.[7] Amended by Haryana Act 12 of 1982.[8] Amended by Haryana Act 13 of 1985.[9]

1. For Statement of Objects and Reasons, *see Punjab Government Gazette* (Extraordinary), dated 22nd July, 1952, pages 659-60; for proceedings in the Assembly, see Punjab Legislative Assembly Debates, 1952, Volume 2, pp (30) 8-(30)28.
2. For Statement of Objects and Reasons, *see Punjab Government Gazette* (Extraordinary), 1955, page 145.
3. For Statement of Objects and Reasons, *see Punjab Government Gazette* (Extraordinary), 1957, page 1690.
4. For Statement of Objects and Reasons, *see Punjab Government Gazette* (Extraordinary), 1963, page 208.
5. For Statement of Objects and Reasons, *see Punjab Government Gazette* (Extraordinary), 1968, page 362.
6. *See Haryana Government Gazette* (Extra), dated 29th October, 1968, page 531.
7. For Statement of Objects and Reasons, *see Punjab Government Gazette* (Extraordinary), 1969, page 59.
8. For Statement of Objects and Reasons, *see Haryana Government Gazette* (Extraordinary), dated the 16-3-1982 page 322.
9. For Statement of Objects and Reasons, *see Haryana Government Gazette* (Extraordinary), dated the 26-9-1985, page 1620.

An Act to make provision for regulating exhibitions by means of cinematographs in the [1][Haryana]

It is hereby enacted as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. *(1)* This Act may be called the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952.

(2) It extends to the whole of the State of [1][Haryana].

(3) It shall be deemed to have come into force on 28th of July 1952 [2][in the principal territories and on the 3rd April, 1957, in the transferred territories.]

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Cinematograph" includes any apparatus for the representation of moving pictures or series of pictures;

(b) "Government" means the Government of the [3][State of Haryana]

(c) "place" includes a house, building, tent and any description of transport, whether by sea, land, or air ;

(d) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

Cinematograph exhibition to be licensed.

3. Save as otherwise provided in this Act, no person shall give an exhibition, by means of a cinematograph, elsewhere than in a place licensed under this Act or otherwise than in compliance with any condition and restriction imposed by such licence.

Licensing authority.

4. The authority having power to grant licences under this Act (hereinafter referred to as the 'licensing authority'), shall be the District Magistrate :

Provided that the Government may, by notification in the official Gazette, constitute for the whole or any part of the State, such other authority as it may specify therein, to be the licensing authority for the purposes of this Act.

---

1. Substituted for the word, 'Punjab' by the Haryana Adaptation of Laws Order, 1968.

2. Added by *ibid.*

3. Substituted for the words "State of Punjab" by *ibid.*

Restrictions on powers of licensing authority.

5. *(1)* The licensing authority shall not grant a licence under this Act unless it is satisfied that—

(a) the rules made under this Act have been complied with ; and

(b) adequate precautions have been taken in the place, in respect of which the licence is to be given to provide for the safety of the persons attending exhibitions therein.

(2) Subject to the foregoing provisions of this section and to the control of the Government, the licensing authority may grant licences under this Act to such persons as it thinks fit, on such terms and conditions as it may determine :

[1][Provided that it shall be deemed to be a condition of every licence whether granted before or after the commencement of the Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Act, 1968, that if a licensee fails, without sufficient cause, to give exhibition, by means of a cinematograph, for a period of fifteen days in a month whether consecutively or otherwise, his licence shall be liable to concellation under clause *(b)* of sub-section *(1)* of section 8.]

(3) Any person aggrieved by the decision of the licensing authority refusing to grant a licence under this Act may, within such time as may be prescribed, appeal to the Government or to such officer as the Government may specify in this behalf and the Government or the officer, as the case may be, may make such order in the case as it or he thinks fit.

(4) The Government may, from time to time, issue directions to licensees generally or to any licensee in particular for the purpose of regulating the exhibition of any film or class of films, so that scientific films, films intended for educational purposes, films dealing with news and current events, documentary films or indigenous films secure an adequate opportunity of being exhibited and where any such directions have been issued those directions shall be deemed to be additional conditions subject to which the licence has been granted.

Power of Government or local authority to suspend exhibition of films in certain cases.

6. *(1)* The Government in respect of the whole of the [2][State of Haryana] or any part thereof, and the District Magistrate, in respect of the district whithin his jurisdiction, may, if it or he, as the case may be, is of opinion that any film which is being publicly exhibited is likely to cause a breach of the peace, by order, suspend the exhibition of the

1. Provisio to sub-section (2) of section 5 inserted by Haryana Act 5 of 1968.
2. Substituted for the words "State of Punjab" by the Haryana Adaptation of Laws Order, 1968.

film and during such suspension the film shall be deemed to be uncertified film in the State, part of the State or district, as the case may be.

(2) Where an order under sub-section *(1)* has been issued by a District Magistrate, a copy thereof, together with a statement of reasons therefor shall forthwith be forwarded by the District Magistate to the Government, and the Government may either confirm or rescind the order.

(3) An order made under this section shall remain in force for a period of two months from the date thereof, but the Government may, if it is of opinion that the order should continue in force, direct that the period of suspension shall be extended by such further period as it thinks fit.

Penalty.

[1][**7.** *(1)* If the owner or person incharge of a cinematograph uses the same or allows it to be used, or if the owner or occupier of any place permits that place to be used in contravention of the provisions of this Act or of the rules made thereunder, or of the conditions upon, or subject to, which any licence has been granted under this Act, the licensing authority may, after affording such owner or person, as the case may be, an opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum not exceeding one thousand rupees and, if the breach is a continuing one, to pay a further penalty not exceeding one hundred rupees for every day after the first during which the breach continues.

(2) Any person aggrieved by an order passed by the licensing authority under sub-section *(1)* may, within a period of thirty days from the date of communication to him of such order, prefer an appeal to the Government and the Government shall, thereupon, pass such order as it may think fit after affording a reasonable opportunity to the parties affected thereby of being heard.]

Amendment or alteration in classification of seats and rates for admission by the licensees.

[2][**7A.** *(1)* The licensee shall adhere to classification of seats and the rates for admission to the cinematograph exhibition as approved by the licensing authority and shall not amend or alter the same without the written approval of the licensing authority.

(2) If the licensee intends to increase the rates for admission to cinematograph exhibition, he shall make an application in writing to the licensing authority stating the reasons therefor, at least seven

1. Substituted by Haryana Act 12 of 1982.

2. Sub-sections (7A), (7B), (7C), inserted by Haryana Act 21 of 1969.

days before the date on which it is proposed to give effect to the increase in such rates.

(3) If the licensing authority is satisfied that the increase in the rates for admission to the cinematograph exhibition will not unreasonably affect the purchaser of the cinematograph exhibition tickets, it may, for reasons to be recorded in writing grant the approval for such increase :

Provided that such approval shall not be granted by the licensing authority more than twice a year.

(4) Any person aggrived by the decision of the licensing authority under sub-section *(3)* may, within such time as may be prescribed, appeal to the Government and the Government may make such order in the case as it thinks fit.

Power of Government to award or alter rates for admission to cinematograph exhibition.

7B. If the Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, amend or alter the rates for admission to the cinematograph exhibition and the licensee shall comply with such order accordingly.

Penalty for resale of tickets and cognizance of offences.

7C. *(1)* Notwithstanding anything contained in section 56 of the Indian Easements Act, 1882, a ticket for admission to a cinematograph exhibition shall not be re-sold for porfit by the purchaser thereof.

(2) Whoever re-sells any ticket for admission to a cinematograph exhibition for profit shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, an offence under this section shall be deemed to be cognizable within the meaning of that Code.]

Power to suspend, cancel or revoke licence.

[1][**8.** *(1)* Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government or the licensing authority may at any time suspend, cancel or revoke a licence granted under section 5 on one or more of the following grounds, namely :—

(a) the licence was obtained through fraud or misrepresentation ;

1. Substituted for section 8 by Punjab Act 6 of 1955, section 2.

(b) the licensee has committed a breach of any of the provisions of this Act or rules made thereunder or of any condition or restriction contained in the licence, or of any direction issued under sub-section *(4)* of section 5 ;

(c) on account of any changes occuring in the locality of the place licensed, the continuance of the licence is considered prejudicial to decency or morality ;

(d) the licensee has been convicted of an offence under section 7 of this Act or section 7 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) ;

[1][*(e)* the licensee has been penalised for not less than three times under section 15 of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955 ;]

[2][*(f)* * * * * * *]

[2]*(g)* [* * * * * * *].

(2) Where the Government or the licensing authority is of the opinion that a licence granted under section 5 should be suspended, cancelled or revoked, it shall, as soon as may be, communicated to the licensee the grounds on which the action is proposed to be taken and shall afford him a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken.

(3) If, after giving such opportunity, the Government or the licensing authority, as the case may be, is satisfied that the licence should be suspended, cancelled or revoked , it shall record an order standing therein the ground or grounds on which the order is made, and shall communicate the same to the licensee in writing.

(4) Where the order suspending, cancelling or revoking a licence under sub-section *(3)* has been passed by a licensing authority, any person aggrieved by order may, within thirty days of the

1. Clauses (e), (f) and (g) inserted by Punjab Act 4 of 1963.

2. Omitted by Haryana Act 13 of 1985.

communication of such order to him, prefer an appeal to Government which may pass such order as it thinks fit.

(5) The order of the Government shall be final.]

[1][**8A.** Where a licence is cancelled under clause *(b)* of sub-section *(1)* of section 8 for a breach of the condition of the licence specifed in the proviso to sub-section *(2)* of section 5, the licensing authority may, on an application made to it by the person whose licence is cancelled, restore the licence if such a person pays to the licensing authority, for each day on which the licensee failed to give exhibition by means of a cinematograph, including the days referred to in the said proviso, such penalty, which may extend to twice the amount of the daily average, as may be determined by the licensing authority. Restoration of certain cancelled licences on payment of penalty.

Explanation :— For the purposes of this section, the expression "the amount of the daily average" means the amount which is arrived at after dividing the aggregate amount of entertainment duty and entertainment tax per show paid or payable by the person whose licence is cancelled for a period of fifteen days next preceding the date on which such person first failed to give exhibition by means of a cinematograph, by the number fifteen.]

9. The Government may, by notification in the official Gazette, make rules— Power to make rules.

(a) prescribing the terms, conditions and restriction, if any, subject to which liences may be granted under this Act;

(b) providing for the regulation of cinematograph exhibitions for securing the public safety;

(c) prescribing the time within which and the conditions subject to which an appeal under sub-section *(3)* of section 5 [2][and sub-section *(4)* of section 7A] may be preferred.

[3][**10.** The Government may, by order in writing, exempt, subject to such conditions as it may impose, any cinematograph exhibition or class of cinematograph exhibitions as also the premises or site used or Power to exempt.

1. Section 8 A inserted by Haryana Act 5 of 1968.
2. The words "and sub-section (4) of section 7A" inserted by Haryana Act 21 of 1969.
3. Substituted for section 10 by Punjab Act 28 of 1957.

intended to be used for cinematograph exhibition from any of the provisions of this Act or of any rules made thereunder.]

Repeal of the Cinematograph Act, 1918.

11. The Cinematograph Act, 1918 (II of 1918), in so far as it relates to matters other than the sanctioning of cinematograph films for exhibition, is hereby repealed :

Provided that any appointment, notification, order, scheme, rule, form or by-law made or issued under the repealed Act, shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, continue in force and be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act, unless and until it is superseded by any appointment, notification, order, scheme, rule, form or by-law made or issued under this Act.